



कार्यालय अनुमण्डल अधिकारी, राँची  
झारखंड सरकार  
प्रपत्र।  
जाति प्रमाणपत्र  
(यह जाति प्रमाण पत्र शैक्षिक कार्य के लिए ही लागू है।)

पत्रांक संख्या : 746208

पावती क्रमांक : RNC/RNC-Halka III/CST/182966/2014

दिनांक(dd/mm/yyyy) : 17/06/2014

दिनांक(dd/mm/yyyy) : 09/07/2014

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मध्या कच्छप पुत्र श्री आनन्द कच्छप जो नगर-पालिका राँची (हल्का III) जिला राँची झारखंड अनुसूचित जनजाति\* श्रेणी के अन्तर्गत उद्योग जाति / उप जाति के सदस्य है, जो झारखंड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति\* के रूप मान्यता प्राप्त है।

2. श्री मध्या कच्छप एवं/अथवा उनकी/उनकी परिवार साधारणतः नगर-पालिका राँची (हल्का III) डाकघर डोरण्डा थाना बुटिया सब डिवीजन राँची जिला राँची राज्य झारखंड में निवास करते हैं।



डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित : LAL SANJEEV  
KUMAR

अनुमण्डल पदाधिकारी

स्थान: राँची

दिनांक(dd/mm/yyyy): 2014-07-09

09:12:09.433

राँची अनुमण्डल, राँची

1. \* बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 एवं 24 के अंतर्गत पाँचवी तथा छठ अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा तैयार किया

गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित किया गया है। इसे सम्बंधित केंद्र के अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण पत्र वेबसाइट : <http://jharkhand.gov.in/e-district> पर सत्यापित किया जा सकता है।

यह प्रमाणपत्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक JAP-47/e-District/79-02/2010-11 दिनांक 10-09-2011 के आदेश में निर्गत एवं मान्य है।